UPJS010022212025

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।</u>
उपस्थितः–शिव कुमार तिवारी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड–UP1646
(CNR No.UPJS0100–2221–2025)
क्रिमिनल रिवीजन संख्या–86 सन 2025

अखिलेश कुमार चौबे उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र डा० एस०पी० चौबे मसौरा वाले हाल निवासी– नहर रोड आजाद पुरा ललितपुर , थाना–कोतवाली, जिला–ललितपुर।

––––अभियुक्त/रिवीजनकर्ता।

बनाम

1– डॉ० नरेन्द्र कुमार जैन उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र स्व० कपूरचन्द्र जैन निवासी – मकान नम्बर–46/3 सी०पी० मिशन कम्पाउण्ड पोस्ट आफिस के पीछे ग्वालियर रोड, थाना–नवाबाद, झाँसी।

––––––परिवादी/उत्तरदाता।

2– स्टेट आफ उत्तर प्रदेश जरिये थाना अध्यक्ष, थाना–कोतवाली, झाँसी।

–––––––––फार्मल पक्षकार।

<u>निर्णय</u>

1– विद्वान अपर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–1, झाँसी द्वारा परिवाद संख्या–1245/2016 (नया नं०–2536/2024) डॉ० नरेन्द्र जैन बनाम अखिलेश चौबे के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक–13–02–2025 से व्यथित होकर अभियुक्त/रिवीजनकर्ता ने प्रस्तुत क्रिमिनल रिवीजन सत्र न्यायालय में दिनांक 19–04–2025 को संस्थित किया गया है।

2– प्रस्तुत पुनरीक्षण सत्र न्यायालय में दिनांक 19–04–2025 को अंगीकृत/पंजीकृत होकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 23–04–2025 को प्राप्त हुआ।

3– संक्षेप में पुनरीक्षण को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी/उत्तरदाता संख्या–1 डॉ० नरेन्द्र कुमार जैन की ओर से अभियुक्त/रिवीजनकर्ता अखिलेश चौबे के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद संख्या –1245/2016 (नया नं०–2536/2024) डॉ० नरेन्द्र जैन बनाम अखिलेश चौबे संस्थित किया गया है। परिवादी/उत्तरदाता संख्या–1 डॉ० नरेन्द्र कुमार जैन ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र दिनांकित 22–12–2023 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी न्यायालय रिक्त होने तथा सही तिथि की जानकारी न होने के कारण दिनांक 17–03–2023 को न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका। परिवादी के हाजिर न होने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17–03–2023 को परिवादी के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर वास्ते 313 हेतु नियत की गयी जबकि प्रकरण में अभियुक्त के अधिवक्ता जानबूझकर के दिनांक 27–04–2019 से परिवादी से जिरह नहीं कर रहे। परिवादी की जिरह अपूर्ण है। परिवादी को दिनांक 17–03–2023 के आदेश की जानकारी जैसे ही हुई परिवादी ने तुरन्त उक्त आदेश अपास्त किये जाने हेतु दिनांक 23–05–2023 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, परन्तु उक्त प्रार्थनापत्र पर दिनांक 17–03–2023 के स्थान पर 28–03–2023 दर्ज हो गया। चूँकि पत्रावली पर दोनों तिथियाँ काफी समीप लिखी हुई थी , जिस कारण भूलवश दिनांक 17–03–2023 के स्थान पर 28–03–2023 दर्ज कर लिया गया था। उक्त प्रार्थनापत्र पर दिनांक 15–11–2023 को न्यायालय द्वारा आदेश किया गया एवं

Digitally signed by SHIV KUMAR TIWARI
Date: 2026.06.24 19:05:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिसमें उल्लेखित किया गया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर गलत तिथि अंकित की गयी है तथा तथ्य भी गलत किये गये है, जिस कारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया गया। परिवादी द्वारा भूलवश गलत तिथि उल्लेख की गयी, जिस कारण उक्त प्रार्थनापत्र खारिज किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी कोसही न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, जिस कारण परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा प्रार्थनापत्र में सभी तथ्य सही है। अतः परिवादी द्वारा उक्त आधार पर आदेश दिनांकित 17–03–2023 को अपास्त किये जाने की याचना की गई है।

4– अभियुक्त/रिवीजनकर्ता अखिलेश कुमार चौबे के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दिनांकित 05–03–2024 प्रस्तुत कर मुख्यतः कथन किया है कि परिवादी ने उक्त प्रार्थनापत्र गलत व निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। दिनांक 22–12–2023 के पूर्व भी दिनांक 23–05–2023 को परिवादी ने एक रिकाल प्रार्थनापत्र दिया था जो उसने नॉटप्रेस करके खारिज करवाया है, इसलिये दूसरा प्रार्थनापत्र उन्हीं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है, रेसजुडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। परिवादी अभियुक्त को ब्लैकमेलिंग करके दवाब बनाकर रूपया नाजायज रूप से वसूल करना चाहता है व आये दिन तमाम प्रकार की धमकियाँ दे रहा है। परिवादी को कई अवसर साक्ष्य देने के लिए न्यायालय द्वारा दिये गये है। उक्त वाद में धारा–313 दं०प्र०सं० के बयान अंकित कर लिये गये है और तारीख बहस के लिए नियत हुई तो परिवादी 23–05–2023 को हाजिर हो गया और प्रार्थनापत्र दे दिया। परिवादी ने यह जाहिर नहीं किया कि उसको 23–05–2023 की तारीख की जानकारी कैसे हुई। अभियुक्त के धारा–313 दं०प्र०सं० के बयान होने के बाद मूल्यवान अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं बिना उचित व पर्याप्त कारण के 17–03–2023 का आदेश अपास्त किया जाना एकदम अनुचित होगा। परिवादी अपनी किसी कमी की पूर्ति के लिए कानून का दुरूपयोग नहीं कर सकता है। अतः अभियुक्त/रिवीजनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आधारों पर परिवादी/उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 22–12–2023 निरस्त किये जाने की याचना की है।

5– विद्वान अपर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–1, झाँसी ने अभियुक्त/रिवीजनकर्ता एवं परिवादी/उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर तथा पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र दिनांकित 22–12–2023 आक्षेपित आदेश दिनांक 13–02–2025 के द्वारा परिवादी/उत्तरदाता डॉ० नरेन्द्र कुमार जैन का प्रार्थना पत्र दिनांकित 22–12–2023, मु०–1500/–रू० हर्जे पर स्वीकार किया एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17–03–2023 अपास्त किया एवं परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर इस शर्त के साथ प्रदान किया कि यदि परिवादी नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं रहता है एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका साक्ष्य का अवसर समाप्त स्वतः समझा जाएगा।

6– अभियुक्त/रिवीजनकर्ता ने उपरोक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 13–02–2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण निम्न आधारों के आधार पर संस्थित किया गया है। अभियुक्त/रिवीजनकर्ता ने पुनरीक्षण में यह आधार लिया है कि विद्वान अवर न्यायालय स्वयं के द्वारा दिनांक 17–03–2023 को पारित आदेश को बिना किसी उचित कारण दर्शित किये ही रिकाल करके अवैधानिकता की है और अपने निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। परिवादी का रिकाल प्रार्थनापत्र किस कानूनी प्रावधान के तहत दिया गया था, यह भी दर्शित नहीं किया था और उसमें परिवादी के पूर्व में अनुपस्थिति होने का पर्याप्त आधार भी नहीं दिया गया था। विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष परिवादी ने पूर्व में भी दिनांकित 25–03–2023 वास्ते रिकाल आदेश दिनांकित 28–03–2023 हेतु प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय के द्वारा गलत तथ्य अंकित किये जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद पुनः परिवादी द्वारा रिकाल प्रार्थनापत्र बिना किसी प्रथम दृष्टया साक्ष्य, बिना शपथपत्र के ही दे दिया गया था, जिसके बाबत विस्तृत रूप से अभियुक्त ने आपत्ति पेश की थी, आपत्ति के तथ्यों व कारणों पर विद्वान अवर न्यायालय ने बिना कोई विचार किये, प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो अवैधानिक है और क्षेत्राधिकार

से बाहर है। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली देखने से विदित होगा कि उक्त परिवाद में परिवादी का साक्ष्य हेतु परिवादी न्यायालय में दिनांक 09–03–2022 से ही नहीं आ रहा था, विद्वान अवर न्यायालय ने 17–03–2023 यानि एक वर्ष तक जब परिवादी नहीं आया तब परिवादी की साक्ष्य का अवसर समाप्त 17–03–2023 को किया गया था। जो सर्वथा न्यायसंगत था। 17–03–2023 के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं थी। दिनांक 28–03–2023 को अभियुक्त का सफाई का ब्यान अंतर्गत धारा–313 जाब्ता फौजदारी भी विद्वान अवर न्यायालय में अंकित कर लिया गया था और उसके बाद भी बहस के स्तर पर परिवादी 3 तारीखों पर लगातार नहीं आया और 23–05–2023 को परिवादी आया व गलत तथ्यों के आधार पर रिकाल प्रार्थनापत्र दे दिया। विद्वान अवर न्यायालय ने अंतर्निहित शक्तियों जो धारा–482 जा०फौज० में माननीय उच्च न्यायालय को प्राप्त है, उनका प्रयोग प्रश्नगत आदेश पारित करने में करके अवैधानिकता की है। एक बार प्रोसीडिंग आगे बढ़ जाने के बाद उसको रिवर्स करना (anti clock wise) करना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। सिविल मेटर जैसी प्रक्रिया अपना कर विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित करने में भूल की है और अवैधानिकता की है। अभियुक्त का ब्यान अंतर्गत धारा–313 जा०फौजदारी रिकार्ड हो जाने के बाद उसको जो मूल्यवान अधिकार प्राप्त हो जाते है उसको उससे वंचित करना अवैधानिक है व विद्वान अवर न्यायालय को अभियोजन पक्ष की कमियों की पूर्ति के लिये अवसर दिया जाना अवैधानिक है व विद्वान अवर न्यायालय से प्रश्नगत आदेश पारित करके कानूनी भूल की है। अतः विद्वान अवर न्यायालय अपर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० –1, झाँसी द्वारा परिवाद संख्या–1245/2016 (नया नं०–2536/2024) डॉ० नरेन्द्र जैन बनाम अखिलेश चौबे अंतर्गत धारा–138 एन०आई० एक्ट, थाना–कोतवाली, जिला–झाँसी के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक–13–02–2025 निरस्त किया जावे व परिवादी का रिकाल प्रार्थनापत्र दिनांकित 23–05–2023 सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की है।

7– अभियुक्त/रिवीजनकर्ता की ओर से विधि व्यवस्था **ताहिर एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी०, 2000(1)JIC 588 (All)** प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि–"Witness Should not be recalled for further cross–examination under Section 311, Cr.P.C. on the facts stated by the accused in affidavits filed subsequent to their statement recorded in Court."

8– अभियुक्त/रिवीजनकर्ता द्वारा पुनरीक्षण के समर्थन में शपथपत्र कागज संख्या–4 बी/1 लगायत 4 बी/2 एवं सूची–6 बी/1 से प्रमाणित नकल आदेश दिनांक 13–02–2025 कागज संख्या–6 बी/2 लगायत 6 बी/3, दिनांक 23–05–2023 के डॉ० नरेन्द्र के प्रार्थनापत्र की छायाप्रति कागज संख्या–8 बी/1, दिनांक 03–07–2023 की आपत्ति जो अखिलेश कुमार की ओर से पेश की गई थी, की छायाप्रति कागज संख्या–8 बी/2, दिनांक 18–03–2021 से वाद की आर्डरशीट की प्रमाणित नकल की छायाप्रति कागज संख्या–8 बी/3 लगायत 8 बी/8, आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या–8 बी/9 प्रस्तुत की गयी हैं।

9– प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 की ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। मौखिक आपत्ति की गई है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है। पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। अभियुक्त/रिवीजनकर्ता ने मुकदमें को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत पुनरीक्षण संस्थित किया गया है। आक्षेपित आदेश तात्विक साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 13–02–2025 को परिवादी/उत्तरदाता का प्रार्थनापत्र दिनांकित 22–12–2023 विधि के नियमों के तहत स्वीकार किया गया है, आक्षेपित आदेश हर हाल में न्यायोचित है। उक्त आधारों पर अभियुक्त/रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण को निरस्त किये जाने की याचना की है।

10– मैनें अभियुक्त/रिवीजनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 स्टेट आफ उत्तर प्रदेश के तर्को को सुना एवं

आक्षेपित आदेश तथा विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

11– धारा–397 द.प्र.सं– पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना–

माननीय उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय को अपने स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अवर दण्ड न्यायालयों से अभिलेख मंगाने की शक्ति इस धारा के अधीन प्रदान की गयी है तथा जिन आधारों पर इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, वे दो है–

क– जहां निष्कर्ष,दण्डादेश या आदेश अवैध या अनुचित है और

ख– जहां कार्यवाहियां अनियमित है।

12– अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर एवं अन्य 2012(3) जे.आई.सी 772(सुप्रीम कोर्ट) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नही किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहां पर–

क– जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी है, वह बिल्कुल गलत है।

ख– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानो का पालन नही किया गया है।

ग– बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिए गए है।

घ– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया है एवं

ड– न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया गया हो।

13– विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 13–02–2025 के आदेश के विरूद्व यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 13–02–2025 में यह उल्लिखित किया है कि पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि यह पत्रावली बहस के स्तर पर लम्बित है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17–03–2023 को परिवादी की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जा चुका है। परिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17–03–2023 को रिकाल कर परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जाने की याचना की गई है। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा पूर्व में प्रार्थनापत्र दिनांकित 23–05–2023 वास्ते रिकाल आदेश दिनांकित 28–03–2023 हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 15–11–2023 को परिवादी द्वारा गलत तिथि व गलत तथ्य अंकित किये जाने के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। मामले के न्यायसंगत विनिश्चय हेतु परिवादी का साक्ष्य अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि मामले में गुण –दोष के आधार पर सुनकर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

14– विद्वान अवर न्यायालय ने अलौच्य आदेश दिनांकित 13–02–2025 परिवादी/उत्तरदाता के प्रार्थनापत्र दिनांकित 22–12–2023 के सम्बन्ध में पारित किया है। परिवादी/उत्तरदाता के प्रार्थनापत्र दिनांकित 22–12–2023 में किसी साक्षी को तलब करके परीक्षित कराये जाने की कोई याचना नहीं की गई है। परिवादी/उत्तरदाता ने सामान्य रूप से केवल उसका साक्ष्य का अवसर दिनांक 17–03–2023 को समाप्त हो गया, उसको निरस्त किये जाने का निवेदन किया था। विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष परिवाद संख्या–1245/2016 में परिवादी के मौखिक साक्ष्य के रूप में उसका शपथपत्र साक्ष्य दिनांक 23–07–2015 को प्रस्तुत किया गया था।इस शपथपत्र साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्त / रिवीजनकर्ता की ओर से दिनांक 27–04–2019 को परिवादी/उत्तरदाता से जिरह की गई और जिरह जारी है। परिवादी/उत्तरदाता की जिरह पूर्ण नहीं हुई है। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के आदेश पत्रक के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि दिनांक 17–03–2023 को परिवादी के उपस्थित न होने के कारण उसका साक्ष्य का

अवसर समाप्त किया गया और पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० दिनांक 28–03–2023 को नियत कर दी गई। दिनांक 05–04–2023 को अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया और पत्रावली बहस हेतु नियत कर दी गई। दिनांक 23–05–2023 को पत्रावली में परिवादी उपस्थित आ गया और प्रार्थनापत्र दिनांक 23–05–2023 प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र दिनांकित 23–05–2023 दिनांक 25–11–2023 को विद्वान अवर न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त किया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 23–05–2023 में गलत तिथि एवं गलत तथ्य अंकित किये है, इसलिये यह प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है। दिनांक 22–12–2023 को परिवादी ने प्रार्थनापत्र वास्ते रिकाल करने आदेश दिनांक 17–03–2023 प्रस्तुत किया जिसपर अभियुक्त ने आपत्ति दिनांक 05–03–2024 प्रस्तुत की। विद्वान अवर न्यायालय ने परिवादी के प्रार्थनापत्र दिनांकित 22–12–2023 को स्वीकार करते हुये उसके साक्ष्य का अवसर समाप्त करने वाले आदेश को आपस्त किया है। यहाँ पर यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या विद्वान अवर न्यायालय ने अलौच्य आदेश दिनांकित 13–02–2025 पारित करने में कोई क्षेत्राधिकार एवं विधि सम्बन्धी त्रुटि कारित की है।

15– द०प्र०सं की धारा–311 के अनुसार– यह धारा इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी न्यायालय को तीन चीजों में से एक चीज करने के लिए समर्थ करती है–

1. किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करना।
2. ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करना,जो यद्यपि समन नहीं किया गया है परन्तु उपस्थित है या
3. ऐसे व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है। पुनः बुलाना और पुनः परीक्षा करना।

धारा–311 द.प्र.सं. दो भागो में है–

1. न्यायालय को यह विवेकाधिकार देता है कि वह किसी भी गवाह को किसी भी स्तर पर परीक्षित कर सकें,और
2. आज्ञापक उपबन्ध है जो ऐसे गवाह को बाध्यकारी रूप से परीक्षित करने के बारे में हो, जो किसी मामले के न्याय सगंत निर्णय के लिए आवश्यक है।

इस धारा का प्रयोग न्याायिकता करना चाहिए मनमाने ढंग से नहीं। इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय को सम्यक सतर्कता बरतनी चाहिए। इस धारा का प्रयोग न तो अभियोजन और न सफाई पक्ष की कमियों को दूर करने के लिए नहीं करना चाहिए। इस धारा का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि किसी भी प्रतिपक्ष को उससे अऋजु लाभ न मिले।

In **Sidhartha Vashist @ Manu Sharma Vs State NCT of Delhi (2010) 6 SCC1** Hon'ble Supreme Court of India considered the scope of power under S.311 CrPC and the limitation. on exercise of such power. It was held that Section 311 of the code does not confer any party any right to examine, cross-examine and re-examine any witness. This is a power given to the court not to be merely excercised at the bidding of anyone party/person but the powers conferred and discretion vested are to prevent any irretrievable or immeasurable damage to the cause of society, public interest and miscarriage of justice.

In **Jamtrakewalji vs state of Maharastra AIR 1968 SC 178** Hon'ble Supreme court held that s. 311 Crpc and together with s. 165 Evidence Act confer jurisdiction on the judge to act in the aid of justice. The only criterion is whether evidence is essential to the just deceision of the case.

In **Rajeshwar Prasad Misra vs. State of West Bengal AIR 1965 SC 1887** the Hon'ble Supreme Court dealt with power of the court with respect to taking additional evidence Observed that it may not be possible for the legislature to forsee all situations and possibilities and therefore the court must examine the facts and circumstances" of each care before it.

16– इस प्रकरण में परिवादी की जिरह पूर्ण नही हो सकी थी तथा शपथपत्र साक्ष्य मुख्य परीक्षा के रूप में पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त/रिवीजनकर्ता

की ओर से उसकी परिवादी/उत्तरदाता की दिनांक 27–04–2019 को की गई जिरह पूर्ण नहीं थी। उसमें जिरह जारी अंकित था। ऐसे में विद्वान अवर न्यायालय ने परिवादी/उत्तरदाता की साक्ष्य समाप्त किये जाने के आदेश को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है और विद्वान अवर न्यायालय का धारा–311 दं०प्र०स के अन्तर्गत उक्त आदेश पारित करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त था। विद्वान अवर न्यायालय ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। जैसाकि विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली के परिशीलन से दर्शित हो रहा है कि परिवाद संख्या–1245/2016 अन्तर्गत धारा–138 एन०आई० एक्ट से सम्बन्धित है। जिसमें परिवादी के शपथपत्र साक्ष्य मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत किये गये है। उससे जिरह पूर्ण किया जाना न्याय –निर्णयन के लिये आवश्यक है।

17– उपरोक्त विवेचन पत्रावली के अवलोकन एवं तर्को को सुनने के उपरांत यही निष्कर्षित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों एवं तात्विक साक्ष्य के आधार पर विधिसंगत निष्कर्ष निकालते हुये एवं न्यायिक विवेकाधिकार का समुचित प्रयोग करते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई युक्ति–युक्त औचित्य अथवा आधार दर्शित नहीं होता है एवं आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमितता अथवा अनौचित्यता विद्यमान नहीं है। फलस्वरूप विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नही है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक **13–02–2025** पुष्टि किए जाने योग्य है। तदनुसार प्रस्तुत क्रिमिनल रिवीजन बलहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत क्रिमिनल रिवीजन संख्या–86/2025 निरस्त किया जाता है। विद्वान अपर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–1, झाँसी द्वारा परिवाद संख्या–1245/2016 (नया नं०–2536/2024) डॉ० नरेन्द्र जैन बनाम अखिलेश चौबे के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक–**13–02–2025** की पुष्टि की जाती है।

वरिष्ठ लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित अवर न्यायालय, झाँसी की तलविदा पत्रावली को अविलम्ब वापस भिजवाना सुनिश्चित करे।

दिनांक–24.06.2026

(शिव कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–24.06.2026

(शिव कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०), झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)